वित्तीय स्वीकृति
संख्या 92 /XVII/2008-10(19)/2007 टी0सी-02

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, दिनांकः 20 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2009

विषय :चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 31 के अयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष में अनुपूरक मांग के द्वारा वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, के शासनादेश संख्या-871/XXVII(1)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रथम अनुपूरक मांग के द्वारा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नकों के अनुसार क्रमशः रूपये 4.33 (रूपये चार करोड़ तेतीस लाख मात्र) एवं रू0 90.00(रूपये नब्बे लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक के अनुसार रूपये 1.15 करोड़ (एक करोड़ पन्द्रह मात्र) तथा रू0 289.40 लाख (दो करोड़ नवासी लाख चालीस हजार मात्र) कुल धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमासिक अधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
2. जिन योजनाओं में विगत वर्षो की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उनमें समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. वित्तीय वर्ष 2008-09 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि कोई हो के विवरण की सूचना पृथक से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
4. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
6. उक्त धनराशि व्यय मितव्ययता के दृष्टिगत नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा सवीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आहरण–वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरत बी0एम0–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
9. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
11. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्रित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 एवं 30 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखा शीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 621(P)/XXVII(1)/2009,दिनांक 9 जनवरी, 2009 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 92 /XVII/2008–10(19)/2007 टी0सी–02 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03 उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।